म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार
अनुसंधान संस्थान, जयपुर

(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार)
इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाडा रोड,जयपुर-302016 EPABX: 0141– 2281812
Email:acri-jaipur@nic.in, acri.jaipur@gmail.com

सफाई निविदा

संस्थान परिसर की आगामी एक वर्ष अवधि हेतु सफाई व्यवस्था के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ख्याति प्राप्त फर्मों से, जो कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध लाईसेन्स धारक हों तथा ई.एस.आई., ई.पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स ऑथोरिटिस से हाउस कीपिंग सेवाओं के लिए कुशल/अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु पंजीकृत हों, अपने अनुभव तथा वर्तमान में उनके द्वारा सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं स्वायत्तशासी निकायों आदि में प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण देते हुए निविदा प्रस्तुत कर सकती हैं। निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्तें एवं सफाई कार्य विवरण, कार्यालय से प्रकाशन तिथि के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सांय 4:30 बजे तक रूपये 100/– का नगद भुगतान कर अथवा परिषद् वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र संस्थान में पहुँचने की अंतिम तिथि 20.08.2016 अपराह्न 2 बजे तक है। निविदा खोलने की तिथि 20.08.2016 समय 3 बजे निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए परिषद वेबसाइट www.ccras.nic.in को देखे।

05/08/16

(डा. एच. एम.एल. मीना)
प्रभारी, अनु० अधिकारी (वैज्ञानिक-3)

d:/otherfiles/walk in interview

महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसन्धान संस्थान
इन्दिरा कालोनी, बनी पार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर – 302016
M.S. REGIONAL AYURVEDA CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR ENDOCRINE DISORDERS
Indira Colony, Bani Park, Jhotwara Road, Jaipur – 302016

निविदा प्रपत्र

1. निविदा दाता फर्म/एजेंसी का नाम व पता : ....

    ....

    ....

    ....

2. विषय निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिए दिया जा रहा है उसका नाम..

3. निविदा शुल्क रू. .... मात्र ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक......................................

    द्वारा जमा करा दिये गये है।

4. आयकर व बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है।

5. फर्म का ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न है/नहीं है।

6. फर्म का ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न है/नहीं है।

7. फर्म का सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न है/नहीं है।

8. धरोहर राशि .... रू. डिमाण्ड ड्राफ्ट नं. .... दिनांक .... के द्वारा प्रभारी अनुसंधान अधिकारी, महाराव शेखाजी आयुर्वेद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान जयपुर में जमा करा दी है।

क्रमशः.......2

9. सफाई कर्मियों के लिए वित्तीय बोलीः

क्र.सं.	विवरण	दर	(राशि रू. में)
1.	04 सफाई कर्मियों हेतु नियत (Fixed) मूल मासिक वेतन (तत्समय भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की न्यूनतम निर्धारित दर से कम नहीं होनी चाहिए)		
2.	निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सफाई सामग्री का मूल्य		
3.	सर्विस चार्ज की दर एवं राशि		
4.	ई.एस.आई., की नियमानुसार तत्समय प्रचलित दर एवं राशि		
5.	ई.पी.एफ., की नियमानुसार तत्समय प्रचलित दर एवं राशि		
6.	सर्विस टैक्स, की नियमानुसार तत्समय प्रचलित दर एवं राशि		
	कुल राशि –		

10. मै/ हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो एवं कार्य के विवरण को स्वीकार करते है और इससे बाध्यकारी रहुँगा/रहेंगे।

फर्म का नाम ....
पता ....
....

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

स्थान ....

दिनांक ....

निविदा दाता (प्राधिकृत) के हस्ताक्षर

05/03/16

म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसन्धान संस्थान

इन्दिरा कालोनी, बनी पार्क, झोटवाडा रोड, जयपुर – 302016

निविदा की प्रमुख शर्ते एवं सफाई कार्य का विवरण :–

1. भवन के समस्त तलों पर स्थित कक्षों, कॉरीडोर, वार्डों, सभाकक्ष एवं फर्श आदि की सफाई के लिये झाडू एवं फिनाइल युक्त पानी का पोंछा प्रति दिन दो बार प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक लगाना होगा।
2. भवन में स्थित शौचालयों, टाइल्स सहित सफाई व धुलाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा। इस कार्य हेतु साबुन का घोल, फिनाइल एवं नमक का तेजाब, हारपिक आदि का प्रयोग किया जायेगा। यूरिन पोट्स में सतत् रूप से नैथ्थलीन की टिकिया रखनी होगी। शोचालयों में सतत् रूप से ओडिनील भी रखनी होगी।
3. भवन में स्थित समस्त वाशबेसिनों पर अच्छी किस्म का हाथ धोने का साबुन प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा एवं संस्थान में स्थित नालियों की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
4. भवन के मुख्य द्वार के बाहर फुटपाथ एवं सडक की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
5. भवन के समस्त कमरों के दरवाजों, खिड़कियों के शीशे एवं लिफ्ट के दरवाजों व फर्श, कुर्सियों, टेबलों, आलमारियों रेक आदि की सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
6. भवन की खिड़कियों पर लगे हुऐ वैनेशियन ब्लाइण्डस की सफाई ब्रुश द्वारा करनी होगी एवं अधिकारियों एवं विशिष्ट कक्षो के कारपेट एवं सोफासेट की सफाई प्रति सप्ताह ठेकेदार द्वारा स्वयं के वैक्यूम क्लीनर द्वारा की जायेगी।
7. भवन की छतों पर स्थित पानी की टंकियो की सफाई माह में एक बार करनी होगी। पानी की टंकियों में पोंटेशियम परमेग्नेट भी डालना होगा।
8. भवन के समस्त कमरों, कोरिडोर एवं पोर्च आदि में स्थित ट्यूबलाइटों, फिक्सर्चस पंखो एवं दीवारों पर लगे आलों मे मिट्टी एवं धूल, जाले आदि की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी।
9. भवन की छत की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
10. सफाई के पश्चात् एकत्रित कूड़ा एवं कचरे को भवन परिसर के बाहर उस स्थान पर डाला जायेगा जहां से नगर निगम द्वारा कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था हो।
11. पुस्तकालय व सभी अनुभागों की सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
12. सफाई कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री की न्यूनतम मात्रा प्रत्येक माह हेतु उपलब्ध करानी होगी जो कि निम्नानुसार है :–

    फिनाइल 15 लीटर, हाथ धोने का साबुन (बडा) 25 नग, नमक का तेजाब 10 बोतल, नेप्थलीन की गोलियां 10 पैकेट, ऑडोनिल 24 टिकिया (बडी), वाशिंग पाउडर 5 किग्रा. तथा आवश्यकतानुसार झाडू पोंछा, डस्टर, ब्रुश आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी एवं सामग्री का स्टॉक हमेशा रखना होगा। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री अथवा यंत्र की व्यवस्था नहीं की जायेगी।
13. सफाई में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री अच्छी किस्म/ब्राण्ड़ की होनी चाहिये तथा उसे प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्य हेतु कार्यालय द्वारा गठित सफाई समिति से सत्यापन कराना होगा।
14. सफाई ठेकेदार को सफाई कार्य हेतु प्रतिदिन चार सफाई कर्मी उपलब्ध कराने होंगे एवं सभी कर्मियों को सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अवकाश देना होगा। सफाई कर्मियों की संख्या कम होने की दशा में अनुपातिक कटौती की जावेगी।
15. "भवन" का अर्थ समस्त संस्थान परिसर से है।
16. निविदा दाताओं को राजकीय कार्यालय, बोर्डो, विभागों के कार्यालय, प्रतिष्ठित भवनों एवं बहुमंजिली इमारतों की सफाई के कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

क्रमशः...2

05/08/16

इसके समर्थन में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

17. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का शुल्क रू. 100/– होगा एवं वेबसाईट से डाउनलोड़ करने की स्थिति में रू. 100/– का ड्राफ्ट धरोहर राशि के साथ अतिरिक्त देय होगा।
18. निविदादाता को धरोहर राशि रू 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट प्रभारी अनुसंधान अधिकारी, म.शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर के पक्ष में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा प्रपत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यदि किसी निविदादाता को धरोहर राशि जमा कराने में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से छूट प्राप्त हो तो निविदा के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
19. सफाई कार्य हेतु निविदा मोहर बन्द लिफाफे में दिनांक 20.08.2016 अपरान्ह 2 बजे तक प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर के कक्ष में पहुंच जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों मे "**सफाई कार्य हेतु निविदा**" अंकित किया जाये। प्राप्त सभी निविदाये संस्थान की अधिकृत समिति द्वारा दिनांक 20.08.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे संस्थान के सभाकक्ष में खोली जायेगी।
20. निविदाओं को सामने खुलवाने की शर्तों के अलावा निविदादाताओं द्वारा दी गई किसी अन्य प्रकार की शर्ते स्वीकार नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर को होगा।
21. सफल निविदा दाता को प्रतिभूति राशि के रूप में ठेके की कुल वार्षिक राशि का पाँच प्रतिशत राशि ठेका स्वीकृति के समय इस कार्यालय में जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि का समायोजन धरोहर राशि से कर लिया जायेगा। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने के एक माह पश्चात्, फर्म के विपरीत कार्यवाही प्रस्तावित/लिखित न होने की स्थिति में लौटा दी जायेगी। इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
22. निविदादाता को ठेका स्वीकृति हो जाने के दिनांक से सात दिन के अंदर संस्थान के साथ नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित निविदा फार्म में वर्णित कार्य के विवरण एवं शर्तो सहित अनुबंध (Agreement) करना होगा।
23. सफल निविदादाता उपयुक्त कार्य/ठेका अन्य किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सबलेट नहीं कर सकेगा।
24. सफाई कार्य का ठेका एक वर्ष हेतु दिया जायेगा। उक्त अवधि के दौरान सफाई कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर प्रभारी, संस्थान को ठेका अवधि से पूर्व ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं बकाया आदि की समस्त वसूली अनुबंधित ठेकेदार की प्रतिभूति राशि में से या बकाया बिलों में से या कानूनन कार्यवाही द्वारा की जा सकेगी। नये ठेके की व्यवस्था होने तक अस्थाई तौर पर कार्य को पूर्व शर्तों एवं दरों के अनुसार बढाया जा सकता है।
25. यदि किसी सफाई कर्मचारी की कार्य करते समय किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/ मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। संस्थान इसके लिये किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
26. ठेके की अवधि में, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद पर प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
27. उर्पयुक्त वर्णित किसी बिन्दु/कार्य के क्रियान्वयन में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से असफल रहने की स्थिति में ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली निर्धारित मासिक दर के, 5 प्रतिशत प्रतिदिन क्षति के रूप में राशि वसूल की जा सकेगी।
28. इस संदर्भ में प्रभारी, म. शे. क्षेत्रीय आयुर्वेद अन्तःस्रावी ग्रन्थि विकार अनुसंधान संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

क्रमश...3

05/08/16

29. किसी भी पक्ष (निविदा आमंत्रितकर्ता या ठेकेदार) द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगीं।
30. आत्यायिक स्थिति जैसे कि आग लगने आदि परिस्थिति में ठेकेदार संबधित विभाग से समन्वय करेगा।
31. उपयोग में ली जाने वाली सामग्री मशीन/साधन आदि को संस्थान में लाने व ले जाने का भार निविदादाता को वहन करना होगा।
32. सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों के लिये संस्थान परिसर में नहाना एवं कपडे आदि धोना वर्जित होगा।
33. प्रत्येक निविदादाता से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थान परिसर का निरीक्षण कर लेना चाहिए।
34. संस्थान में गठित "सफाई समिति" द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान दिये जाने वाले सफाई संबधी निर्देशों की पालना करनी होगी।
35. निर्धारित आयकर राशि की कटौती नियमानुसार प्रतिमाह की जायेगी। तत्पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
36. संस्थान परिसर मे कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी निर्धारित ड्रेस में ही कार्य करेंगे। निविदादाता को ड्रेस का रंग निर्धारित कर संस्थान को सूचित करना होगा।
37. ठेकेदार एवं सफाई करने वाले कर्मचाारियों के विवाद में संस्थान किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा।
38. निविदादाता फर्म को श्रम ठेका अधिनियम के अधीन (रेगुलेशन एण्ड एबालीशन एक्ट 1970 के अनुसार) पंजीकृत होना चाहिए एवं निविदादाता को समस्त नियम, अधिनियम जो जयपुर राजस्थान में लागू है का पालन करना होगा।
39. निविदादाता के कर्मचारी इ.एस.आई एवं ई.पी.एफ. से आच्छादित (Covered) होने चाहिए। इ.एस.आई एवं ई.पी.एफ. का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना है तथा कर्मचारी को न्यूनतम वेजेज ऐक्ट के अनुसार भुगतान करना होगा। जब भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जाती है तो संस्थान द्वारा इसकी पालना करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही संस्थान से इ.एस.आई, ई.पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स के पेटे ली गई राशि सम्बन्धित विभागों में जमा कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा प्रमाण मांगने पर प्रस्तुत करना होगा। इस संबन्ध में किसी भी कर्मचारी अथवा अन्य किसी से कोई शिकायत प्राप्त होने पर उक्त पेटे दी गई राशि, प्रतिभूति राशि एवं बकाया बिलों से काटने का अधिकार संस्थान को होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई श्रमिकों को वेतन चैक से या श्रमिक के बैंक खाते में जमा करने के द्वारा ही करना होगा, इस सम्बंध में संस्थान द्वारा प्रमाण मांगने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ठेका रद्द करने का अधिकार संस्थान को होगा।
40. The contractor at all times should indemnify the RARIED, Jaipur against all claims. Damages of compensation under provisions of payment of Wages Act Compensation Act, 1923, Industrial disputes act or any modification there of or any other law relating thereto and rules are made here under from time to time pertaining to labour, RARIED, Jaipur will not own any responsibility in this regard.
41. निविदादाता को प्रत्येक कर्मचारी को एकान्तर (Rotational) क्रम में साप्ताहिक अवकाश देना होगा एवं उनके नाम, फोटोग्राफ एवं फोटो आई.डी.प्रूफ (पहचान पत्र) कार्यालय में जमा करवाना होगा एवं संस्थान के किसी भी सफाई कर्मी की अनुपस्थिति के दिन, उसकी एवज में कार्य करने वाले सफाई श्रमिक का नाम उसकी फोटोग्राफ तथा प्रमाण सहित निवास का पता इत्यादि भी उपलब्ध कराना होगा।
42. निविदा दाता को सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान का समुचित सफाई कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए सफाई कर्मियों की कोई समस्या न हो।

(डॉ.एच.एम.एल.मीना)
प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञा–3)